न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गढ़ाकोटा (सागर)
पीठासीन श्री उमेश सेठ RAS.

प्रकरण क्रमांक 369/08
234/18

दिनांक 4-8-18
4-12-18

1- सूचना प्रसारण करता पक्ष गोपाल सिंह निवासी मोसाखेड़ा

—वादी

बनाम

1- तहसीलदार गढ़ाकोटा

—प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत
धारा 88 म.- ROR

उपस्थित

1- श्री रितेश भार्गव
एड. वादी

2- प्रतिवादी स्वयं

निर्णय

दिनांक 20 माह

वादी का वाद-पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। A- ग्राम मोसाखेड़ा पटवारी हल्का नम्बर 9 में खसरा नम्बर 964, 986, 988, 998, 1419, 1512, 1562, 1567, 1771 व ग्राम मोसाखेड़ा में खसरा नम्बर 16 व 111 की करता पक्ष गोपाल सिंह के नाम खातेदारी से स्थित थी। वादी का पति करता की मृत्यु 5-12-14 को हो गई व उसकी पत्नी पालो धनगारी की मृत्यु 27-7-98 को हो गई थी उसके कोई पुरुष वारसी सन्तान नहीं थी। करता के कोई सन्तान नहीं होने से करता ने अपने जीवन काल में वादी को गोद लिया इसी आशय का गोद के पत्र रजिस्ट्री का 8-10-17 को पंजीकृत लिखा।

वादी करता के जीवन काल में उसके साथ

भी वादी ही मालिक करता है। वादी की मृत्यु उपरान्त उसका नियमानुसार वादी के स्थान पर वादी भी वादी के बच्चे वादी ने पूर्व में भी कार्य कराकर लेटरपेड में लिखकर दिया था कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। वादी के नाम पर ग्राम पंचायत से भी पूछताछ की गई वादी के नाम दर्ज कर दी गई वादी ने पूर्व में भी खाते दर्ज घोषणा की दावा पीश पर उसमें आराजी का वाद नहीं पीश नहीं किया। इसलिए उक्त भूमि खाता नहीं खुला था। इसलिए उक्त आराजीयात को नाम दर्ज करने मांग की।

वादी का वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर पीश नाम प्रतिवादी की तरफ से भी प्रतिवादी के उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि पुस्तक खातेदार कब्जा धारक गोपाल पिता के वारसान गिरदावरी के आधार पर पूर्व माननीय न्यायालय RBA द्वारा 108 निर्णय दिनांक 27-7-08 के अनुसार कब्जा धारक गोपाल के स्थान पर हरचन्द धारक कब्जा के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित हो चुका है जिसे आराजी का इन्तकाल नम्बर 145 दिनांक 26-8-2008 से खाते दर्ज हो चुका है उक्त आराजी वाद में हरचन्द के खाते दर्ज होने पर कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं विपक्षी पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन से स्पष्ट है कि RBA के भी कब्जा की जमीन का खाते में दर्ज करने की व्यवस्था की है जिसे वादी के वाद-पत्र को खारिज करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादी का वाद-पत्र कब्जा वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिग्री किया जाता है कि ग्राम पंचायत प्रतिवादी डिग्री किया जाता है कि आराजी नम्बर 964, 986, 988 पक्का रकबा 998, 1497, 1712, 1763, 1767, 1771 कुल क्षेत्रफल 16 बीघा 11 बीसवा में कब्जा धारक गोपाल पिता का नाम विपक्षीगण पर वादी हरचन्द पुत्र कब्जा धारक गोपाल का खातेदार कायम करार घोषित किया जाता है। पत्रावली डिग्री प्रतिलिपि हो।

निर्णय आज दिनांक 20-8-19 को खुले

डिग्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6 - 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम भीलवाड़ा

व इजलास श्री उमेश कुमार RAS

हरचन्दी लुहार व अन्य

पीका गोपाल मीणा निवासी भीलवाड़ा बनाम

दावा बाबत् ई.डी.सी. ADM

मुकदमा 349/234 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई नंबर 35 पर

व तजवीज श्री विनोद कुमार मिनजानिब मुदई व विनोद - एडवोकेट

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादी का वाद-पत्र दावा वादी पक्ष प्रार्थना स्वीकार किया जाता है भू अर्जन विभाग पत्रावली एल.आर.सी. नम्बर 964, 966, 988, 998, 1492, 1512, 1563, 1567, 1571 कुल क्षेत्र 9 एकड़ 16 बीघा 11 बिस्वा में वादी पीका गोपाल मीणा का नाम बोलकर हरचन्दी लुहार व अन्य पीका गोपाल मीणा खातेदार काश्तकार बाबत मौके पर काबिज है

खर्चा इस मुकदमे के मद मूद शहर ....., फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख तन्फीलयाबी तक ..... का अदा करे।

2018

बमक्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

दस्तखत

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि. (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर (भीलवाड़ा)

मुहर

मुदई	रुपया	पैसा	मुदायला	रुपया	पैसा
इब्तदाई अर्जीदावा			इब्तदाई वकीलातनामा		
वकालतनामा			इब्तदाई अर्जी		
इब्तदाई वजह सबूत			इब्तदाई वजह सबूत		
मुहब्बतना वकील ( )			मुहब्बतना वकील ( )		
खर्चा अदालत			खर्चा अदालत		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजरायें हुक्म नामा			बाबत इजरायें हुक्म नामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.08.30 16:35:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: